भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2673

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में ग्रामीण विकास कार्य

2673. श्री ए. राजा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कार्यान्वित की गई प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा पनधारा विकास योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने गांवों तथा परिवारों को लाभ मिला है;

(ग) परियोजनाओं के लिए समय पर निधि जारी करना तथा उनकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने, सतत रोजगार सृजित करने तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और पीएमकेएसवाई (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी

मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) दिनांक 01 जुलाई, 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के स्थान पर लागू हो गया है।

(ख): तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई, मनरेगा योजना, पीएमएवाई-जी और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत अर्जित लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कार्यक्रम	**अर्जित लाभ**
पीएमजीएसवाई	अप्रैल 2021 से दिनांक 30.07.2026 तक, कुल 4791 किलोमीटर लंबाई वाली 1190 सड़कों और 66 पुलों का कार्य पूरा किया गया है।
मनरेगा योजना	नरेगासॉफ्ट के अनुसार, तमिलनाडु में कुल 15705.21 लाख परिवारों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त किया है। इसके अलावा, यह योजना राज्य में 12,481 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जा रही है।
पीएमएवाई-जी	इस योजना के तहत 14,510 गांवों को लक्षित किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, राज्य में कुल 3,81,710 आवासों का निर्माण किया गया।
डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई	कुल 5445 जल संचयन संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, मृदा और नमी संरक्षण कार्यकलापों के साथ 19.42 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है; 11248.89 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत लाया गया है, 3201.61 हेक्टेयर को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया गया है, 1,44,183 किसानों को लाभान्वित किया गया है और 10,93,878 श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

(ग): कार्यक्रमों के तहत निधि इन योजनाओं के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट वास्तविक उपलब्धि प्राप्त करने और पहले से जारी निधि के उपयोग के आधार पर जारी की जाती है। निधि संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के संबंध में 'जस्ट-इन-टाइम रिलीज' का सिद्धांत अपनाते हुए एक नया निधि प्रवाह तंत्र, एसएनए-स्पर्श शुरू किया गया है, ताकि प्रभावशाली तरीके से पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत ढांचे के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाई जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाओं, सामान्य समीक्षा मिशन, मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकों, श्रम बजट संशोधन बैठकों, कार्यक्रम समीक्षा बैठकों, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं के

कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है। समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट समीक्षा भी की जाती है और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, कार्यान्वयन में आसानी, बेहतर लक्ष्यीकरण, प्रभावी वितरण और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों के तहत संपूर्ण डिजिटल समाधान भी शुरू किए गए हैं, और इसके साथ ही संबंधित हितधारकों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर प्रगति और प्रभावशीलता की समवर्ती निगरानी/मूल्यांकन भी प्रारंभ किया गया है।

(घ): सभी योजनाओं/कार्यक्रमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से और विनिर्दिष्ट योजनाबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें ग्रामीण गरीबी को दूर करने और ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हस्तक्षेप की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों की पहचान करने, सड़कों और स्थाई परिसंपत्तियों सहित बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना प्रस्तावों की कल्पना करने और रोजगार की मांग सृजित करने आदि के लिए जिम्मेदार हैं। ये उपाय सामूहिक रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थायी रोजगार सृजित करने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान कर रहे है।
